फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

कमला वगैरा - बनाम पाबूराम वगैरा

मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 316/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.10.21	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मलवा चारणान पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा में आई हुई है। विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में कच्चा पक्का निर्माण करने, दखलअन्दाजी, बेचान करने व हस्तक्षेप करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 21.12.21 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मलवा चारणान पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 149/91 व खसरा नम्बर 125 रकबा कमशः 4.8886 व 0.0324 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें न ही बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण आदि करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 21.12.2021 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

16/11/2021 पत्रावली आज पेश होई ग्राम पंचायत निम्बाड़ियों की ढाणी [illegible] गई प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा बताया की इन प्रार्थीगण व विपक्षीगणों के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए हम उक्त निगरानी आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा उक्त आवेदन को Not Press किया गया।

अतः प्रार्थी का आवेदन जरिये Not Press खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु